रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 13—मार्च 19, 2011, शनिवार/फाल्गुन 22—फाल्गुन 28, 1932
No. 12] NEW DELHI, MARCH 13—MARCH 19, 2011, SATURDAY/PHALGUNA 22—PHALGUNA 28, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

सा.का.नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में,—

(क) नियम 1 के अन्तर्गत, उप नियम (1),—

(i) शब्द "कार्यालयों" के स्थान पर शब्द "कार्यालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्द "कार्यालय" के स्थान पर शब्द "कार्यालयों" प्रतिस्थापित किया जाएगा;